Draft

कार्यालय राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति,
तकनीकी शिक्षा भवन, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर,
झालाना डूंगरी, जयपुर–302004

1. आयोजना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के दिनांक 02.03.2020 व दिनांक 24.01.2020 के पत्रों पर विचार किया गया। उपरोक्त संस्थान ने अपने पत्रों में कहा है कि सत्र 2016–17 में उसके द्वारा संचालित B.Arch. course की फीस Rs. 78447/– निर्धारित की गई थी परन्तु वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिए उक्त कोर्स की फीस आदेश दिनांक 01.01.2020 के द्वारा Rs. 77000/– निर्धारित की गई है। इसके कारण सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से सत्र 2016–17 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की तुलना में कम फीस लेने के कारण भ्रांति पैदा हो रही हैं व विवाद का प्रश्न बन रहा है। इसके अलावा, महंगाई व मूल्य वृद्धि के कारण खर्चो में भी वृद्धि हुई है अतः सत्र 2016–17 के लिए निधारित की गई फीस में 10–15 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए सत्र 2017–18, 2018–19 व 2019–20 की फीस का निर्धारण किया जावे।
2. उपरोक्त पत्रों पर विचार किया गया व सम्बन्धित रिकॉर्ड का अवलोकन किया। यह सही है कि आदेश दिनांक 08.05.2017 के द्वारा सत्र 2016–17 के लिए उपरोक्त संस्थान की B.Arch. course की शुल्क संरचना Rs. 78447/– निर्धारित की गई थी। सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की शुल्क संरचना का निर्धारण व प्रकाशन अपरिहार्य कारणों से विलम्बित हो गया था अतः समिति ने राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेजेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के उपरान्त इन तथ्यों पर भी विचार किया कि दो वर्ष के कोर्सेस की समयावधि समाप्त हो चुकी है, उक्त कोर्सेज के विद्यार्थी संस्थान छोड कर जा चुके हैं तथा तीसरे सत्र का भी काफी समय व्यतीत हो चुका है, अतः ऐसी स्थिति में Accounts के आधार पर गणना कर शुल्क संरचना के निर्धारण से कई व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं.। अतः दिनांक 23.12.2019 को यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने सत्र 2018–19 में जिस कोर्स के लिए जो शुल्क वसूल किया है वही राशि उस संस्थान का उस कोर्स के लिए सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का Fee–structure निर्धारित कर दिया जावे तथा इसी अनुसार दिनांक 01.01.2020 के आदेश द्वारा उक्त तीन वर्षो के लिए शुल्क संरचना का निर्धारण कर दिया गया।

प्रार्थी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उसने सत्र 2018–19 में B.Arch. course की फीस Rs. 77000/– चार्ज की थी अतः इस आधार पर उसकी उक्त तीन वर्ष के लिए फीस Rs. 77000/– निर्धारित कर दी गई।

3. दिनांक 08.05.2017 के आदेश द्वारा निर्धारित वर्ष 2016–17 के शुल्क संरचना निर्धारण आदेश के विरुद्ध विभिन्न संस्थानों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाऐं प्रस्तुत की। उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश पर विचार करते हुये राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश कमांक 18(5)त. शि/2004 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा यह आदेशित किया गया कि निजी शिक्षण संस्थान माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अध्याधीन रीप -- 2018 के तहत् बी.ई./बी.टेक/बी.आर्क/एम.बी.ए./एम.सी.ए/बी.एच.एम.सी.टी.ई, पाठ्यकमों में प्रवेशित छात्रों से विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2016 के अनुसार फीस लेवें। दिनांक 26.07.2016 के आदेश में B.Arch. course की अधिकतम अंतरिम फीस Rs. 77000/– निर्धारित की गई थी।

4. सत्र 2016–17 की शुल्क संरचना का निर्धारण पिछले वर्ष के लेखों के आधार पर किया गया था तथा प्रार्थी संस्थान ने इसी आधार पर सत्र 2016–17 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से उपरोक्त फीस चार्ज करना कहा है। सत्र 2017–18, 2018–19 व 2019–20 में प्रवेश लेने वाले छात्रों से संभवतः संस्थान ने राज्य सरकार के उपर उल्लेखित अंतरिम फीस के आदेश के अनुसरण में Rs. 77000/– फीस चार्ज की है जिसके कारण ऊपर पैरा नं. 1 में उल्लेखित विषमता (Anomaly) उत्पन्न हो गई है।

गत वर्ष की फीस अधिक होना व आगामी वर्षो की फीस कम होने के कारण विद्यार्थियों में भ्रांति व असन्तोष की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। अतः उक्त विषम–स्थिति (Anomalous position) का निराकरण करना उचित प्रतीत होता है। परन्तु , वर्ष 2018–19 के अंकेक्षित लेखो को देखते हुये व अन्य समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 के लिए,सत्र 2016–17 की निर्धारित फीस में 10–15 प्रतिशत की अभिवृद्धि (Escalation) कर के फीस निर्धारण का औचित्य नहीं बनता। परन्तु, ऊपर उल्लेखित विषगता (Anomaly) के निराकरण हेतु उपरोक्त संस्थान की B.Arch. कोर्स के लिए उक्त तीन वर्षो के लिए सत्र 2016–17 की शुल्क संरचना के समकक्ष कुल फीस Rs. 78447/– (Rs. 68215/- tuition fees + Rs. 10232 /- development fees) निर्धारित की जा सकती है। यदि सहमति बनें तो उपरोक्त अनुसार संशोधित आदेश जारी किए जा सकते है।

सदस्य सचिव

I agree

1. सदस्य

2. सदस्य

P.K. Goswami

3. अध्यक्ष

Draft

कार्यालय राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति,
तकनीकी शिक्षा भवन, राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर,
झालाना डूंगरी, जयपुर–302004

---

1. JIET Institute of Design & Technology, Jodhpur ने अपने पत्र दिनांक 23.12.2019, जो कि दिनांक 03.01.2020 को प्राप्त हुआ है, में कहा है कि उसने AICTE व राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर सत्र 2019–20 से Bachelor of Design (B.Des.) का नया कोर्स प्रारम्भ किया है तथा वर्तमान में वे उक्त कोर्स की B.Tech./ B.Arch. course के समान Rs. 77000/– फीस चार्ज कर रहे हैं। परन्तु उपरोक्त कोर्स की शिक्षा पर B.Tech./B.Arch. courses की तुलना में अधिक खर्चा करना पड़ता है। अतः पत्र में किये गए उल्लेखानुसार सत्र 2019–20 के लिए उक्त कोर्स की ट्यूशन फीस Rs. 2,05,363/– तथा Development Fees Rs. 30804/– यानि कुल फीस Rs. 2,36,167/– तय की जावे।
2. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। उपरोक्त संस्थान ने सत्र 2019–20 से B.Design. का कोर्स प्रारम्भ करना कहा है व यह भी कहा है कि वर्तमान सत्र में वे Rs. 77000/– फीस चार्ज कर रहे है। सत्र 2019–20 समाप्त हो चुका है तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 18(5)त.शि./2004 I दिनांक 03.07.2020 के अनुसार समस्त निजी अभियांत्रिक महाविद्यालयों को सत्र 2020–21 के दौरान फीस के किसी भी मद में किसी प्रकार की अभिवृद्धि नहीं करने हेतु आदेशित किया गया है।
3. अतः उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करते हुए यदि सहमति बनें तो उक्त संस्थान को यह सूचित करना उचित प्रतीत होता है कि वह Prescribed proforma में उक्त कोर्स से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना व उक्त सत्र (2019–20) के audited accounts तथा उसी अनुसार आगामी सेशन्स (sessions) के लिए Fee-structure के प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि उन पर विचार कर आगामी वर्षो की शुल्क संरचना का अनुमोदन/निर्धारण किया जा सके।

सदस्य सचिव

I agree

1. सदस्य

2. सदस्य

3. अध्यक्ष